बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि २७ मार्च, १९७४ ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत् प्रश्नों के उत्तरों का सभा मेज-पर रखा जाना :	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्न संख्या : ८, ९, एवं १०	१-११
तारांकित प्रश्न संख्या : ७२, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८५, ८६, ९०, ९५, ९६, १०२, १०३, ३९०, ३९१, एवं ३९६ ।	११-३४
परिशिष्ट १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	३५-१२२
परिशिष्ट २	१२३-
दैनिक निबन्ध :	

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है !

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो ऐसी दुव्यर्वस्था का क्या कारण है ?

श्री रफीक आलम—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) मुरलीगंज से बभनगांवा तक झामा बिछाई का कार्य लगभग समाप्त है। बभनगांवा से बिहारीगंज तक मिट्टी कार्य अंतिम लेचर को छोड़कर पूरा हो गया है। कार्य प्रगति में है ।

२ (११) सड़क के बगल में द्वितीय श्रेणी की जो ईंट रखी है, वे सभी रद्द कर दी गई थी और उन्हें कार्य स्थल से हटाया जा रहा है ।

(३) कंडिका (२) के उत्तर से इसका प्रश्न नहीं उठता है।

———

निर्माण कार्य की पूर्त्ति

१४०। श्री कृष्ण प्रताप सिंह—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत न्यू-सीवान हथुआ चीनी मिल से हथुआ तक एक सड़क जाती है;

(२) क्या यह बात सही है कि सड़क पर दाहा नदी में एक पुल का निर्माण १९६४ से हो रहा है;

(३) क्या यह बात सही है कि इस पुल का निर्माणकार्य अधूरा छोड़ दिया गया हैं;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस पुल का निर्माणकार्य अभी तक पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री रफीक आलम—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) इस पुल का निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर ठीकेदार ने कार्य करना छोड़ दिया था शेष कार्य पूरा करने के लिये कितनी बार निविदायें आमंत्रित की गई किन्तु कोई निविदाकार नहीं आये इस कारण इस कार्य को विभागीय तौर पर पूरा करने

का निर्णय किया गया है तथा इसके लिये आवश्यक सामानों के एकत्रीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जुलाई १९७३ तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

कमारा को खाली कराना

१४२। फतूरी सिंह—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री वैद्यनाथ ठाकुर ने गर्दनीबाग दुमहल्ला का मकान संख्या २४, को प्राप्त लिखित सूचना खाली करने को दी है परन्तु वास्तविक रूप में उक्त कमरा को उन्होंने खाली नहीं किया है;

(२) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में श्री वैद्यनाथ ठाकुर अवैध रूप से उक्त कमरा को अपने कब्जे में रखे हुए है ?

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त कमरा को खाली कराकर श्री मुसाफिर सिंह को दिलाने की दिशा में कौन-सा कदम उठाना चाहती है ?

श्री रफीक आलम—(१) (२) तथा (३) श्री वैद्यनाथ ठाकुर ने सक्षम पदाधिकारी को निश्चित रूप से सूचित किया था कि उन्होंने गर्दनीबाग स्थित दुमहल्ला का आवास संख्या २४ दिनांक १३-१२-७३ को खाली कर दिया है। परन्तु वास्तव में उन्होंने उक्त आवास को खाली किया है या नहीं यह सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतः श्री ठाकुर से पूछा गया है कि वे अब तक उन्होंने क्यों नहीं उक्त आवास खाली किया है और सक्षम पदाधिकारी के इजलास में गलत सूचना देने के लिए क्यों नहीं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। उनका उत्तर अभी अपेक्षित है।

सड़क का पक्कीकरण

१४५। श्री आजम—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के अररिया आर० एस० से मोरबल्ला की सड़क के पक्कीकरण की मंजूरी सरकार द्वारा हो चुकी है तथा